# मीरजापुर पुलिस

## —प्रेस नोट—

दिनांकः 26.08.2025

**थाना को0कटरा पुलिस द्वारा नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार —**

थाना को0कटरा, जनपद मीरजापुर पर दिनांक 23.08.2025 को वादी रोहन मिश्र पुत्र सृष्टि नारायण मिश्र निवासी आवाश विकास कालोनी थाना को 0कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की पत्नी का शिक्षा विभाग में संविदा के विभिन्न पदो पर नौकरी व इंटरव्यू के नाम पर धोखे से पैसा मागने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को 0कटरा मु0अ0सं0-256/2025 धारा 318(4),319(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना प्रभारी को0कटरा को अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए हैं । उक्त निर्देश के क्रम में थाना को 0कटरा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.08.2025 को मुखबिर के सूचना के आधार पर थाना को 0कटरा क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद व प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्तगण 1. अश्वनी कुमार पुत्र स्व 0 उमा शंकर निवासी ग्राम दूनैया पाण्डेय पोस्ट हरिहरपुर बेदौली थाना पड़री जनपद मीरजापुर व 2. दीपचन्द्र कश्यप पुत्र शंकर लाल निवासी ग्राम लखनपुर थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर को अंतर्गत धारा 318(4),319(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्तो के कब्जे से 39900 रूपये व 04 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को 0कटरा पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।

**पूछताछ विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में बताया गया कि हमारे अन्य साथी भी है , हमारे द्वारा गिरोह बनाकर कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्टर्ड लोगो के डाटा प्राप्त कर संविदा के विभिन्न पदो पर नौकरी की फर्जी 03 सूची तैयार किये थे , जिसमें मीरजापुर व आसपास के जनपदो के अभ्यर्थीयों के नाम सम्मलित है । प्रत्येक सूची में क्रमशः 1171, 54 व 93 (कुल-1318) अभ्यर्थियों के नाम थे । हम लोगो द्वारा इस प्रकार कुल 01 करोड़ रूपये की वसुली का टार्गेट था । फर्जी सूची के आधार पर अभ्यर्थियों से जरिये फोन सम्पर्क कर के नौकरी में नियुक्ती की फर्जी खबर बताकर इंटरव्यू का टोकन मनी के नाम पर पैसे की ठगी करते थे । इस प्रकार हम लोगो द्वारा अब तक कुल 1.5 लाख रूपये की वासूली किया जा चुका है । हमारे गैंग का मुख्य सदस्य लखनऊ के गोमती नगर में फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक कम्पनी

का रजिस्टेशन करा रखा है। इस प्रकार से अवैध कार्यों को कर के हम लोगो द्वारा प्राप्त धन को आपस मे बाट लेते है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —**

1. अश्वनी कुमार पुत्र स्व 0 उमा शंकर निवासी दूनैया पाण्डेय हरिहरपुर बेदौली थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र 28 वर्ष।

2. दीपचन्द्र कश्यप पुत्र शंकर लाल निवासी ग्राम लखनपुर थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर , उम्र करीब 27 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग—**

मु0अ0सं0-256/2025 धारा 318(4),319(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

**विवरण बरामदगी —**

39900 रूपये व 04 अदद मोबाइल फोन।

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —**

थानाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह, थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

उप निरीक्षक राज कुमार पाण्डेय , उप निरीक्षक चन्द्र भान सिंह मय पुलिस टीम थाना को 0कटरा जनपद मीरजापुर।

निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।

************